न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :श्री पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 110 सन 2020

अनवान :–

1. रधुवीर पुत्र अमीलाल जाति छिम्पा (छीपी) निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. निराणी पत्नी अमीलाल जाति छिम्पा (छीपी) निवासी सोनडी तहसील नोहर
2. कृष्ण पुत्र अमीलाल जाति छिम्पा (छीपी) निवासी सोनडी तहसील नोहर
3. सुभाष पुत्री अमीलाल जाति छिम्पा (छीपी) निवासी सोनडी तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. सुरेदरसिह पुत्र हेतराम जाति कुम्हार निवासी सोनडी तहसील नोहर

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता सायल
श्री हवासिह पूनिया गैरसायल संख्या–6

निर्णय दिनांक :– 05/03/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायलान प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 252/257 की कुल 5.0580हैक भूमि जिसमें निराणी गैरसायला संख्या 1 का 215/843 हिस्सा भूमि दर्ज है जो सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 3 की सयुक्त हिन्दु खानदान की जददी की आय से प्राप्त कृषि भूमि है जो कर्ता खानदान होने के कारण अकेली के नाम दर्ज हो गयी है।

सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 3 सयुक्त हिन्दु खानदान के सदस्य है उक्त भूमि सयुक्त तौर से सभी काश्त करते आ रहे तथा पुरा परिवार इसी कृषि भूमि पर निर्भर है अन्य आजिविका का कोई साधन नही है किन्तु गैरसायला संख्या 1 जो कि सायल व गैर सायल की वृद्व माता है जिसका मानसिक सन्तुलन ठीक नही है जो भूमाफिया उन्हे बहला फुसलाकर स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लेते है और भूमि खूर्द बूर्द करने की फिराक में है जिससे सायल व गैरसायल संख्या 2 ,3 को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायला संख्या 1 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 252/257 की कुल 5.0580हैक भूमि में निराणी गैरसायल संख्या 1 के नाम 215/843 हिस्सा दर्ज है को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 ता 3 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में [illegible] एक पक्षिय कार्यवाही की गई गैरसयाल संख्या 6 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 [illegible] सीपीसी स्वीकार कर गेरसायल संख्या 6 बनाया गया था गैरसायल [illegible] पूनिया अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में [illegible] अस्वीकार करते हुए ज[illegible] किया की

सायल विवादित भूमि का किसी श्रे[illegible] का टिनेन्ट नही है [illegible] वाद वादी मेन्टेबल है सायल का विवादित भूमि पर कब्जा नही है कब्जा के अभाव में भी घोषणात्मक वाद /प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है विवादित भूमि उत्तरदाता गैरसायल संख्या 6 ने जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

बैयनामा दिनांक 09.09.2020 से खरीद की है जिसके आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है कानूनी स्थिति के अनुसार वाद में नया पक्षकार बनने पर वाद को संसोधित किया जाना आवश्यक है जबकि वाद को संसोधित नही किया गया है जो वाद में अहम नुक्स है इसी आधार पर भी वाद चलने योग्य नही है।

विवादित भूमि रोही मौजा सोनडी की कुल 5.0580है० भूमि में से 215/843 हिस्सा भूमि गैरसायला न0 1 निराणी पत्नी अमीलाल की खूद की पैदा करदा भूमि थी जो गैरसायल संख्या 6 ने दिनांक 09.09.2020 को पूर्ण प्रतिफल दिया जाकर खरीद की थी जिसका कब्जा मौका पर प्राप्त कर लिया था वाद भूमि खरीद के समय से गैरसायल संख्या 6 के कब्जा काश्त में चली आ रही है बैयनामा दिनांक 09.09.2020 आदिनांक तक प्रभावी सायल वाद भूमि के सम्बध में किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है तथा बेयनामा के आधार पर गैरसायल संख्या 6 खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है केवल हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिले खारिज है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

गैरसायल संख्या 6 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि जो निराणी गैरसायल संख्या 1 के नाम से दर्ज है पैतृक हिन्दु परिवार की जददी जायदार है जिसमें सायल व गेरसायल संख्या 2 ,3 का हक हिस्सा है गैरसायल संख्या 1 वृद्व औरत है जिसका मानसिक सन्तुलन सही नही होने के कारण भूमाफिया कभी भी गैरसायल को बहला फुसला कर वाद भूमि खूर्द बूर्द कर सकते है जिससे सायल व गैरसायल संख्या 2, 3 के हको का हनन होता है इसलिये सायल गैरसायल संख्या 1 का अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 252/257 की कुल 5.0580है० में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 215/843 हिस्सा भूमि को रहन बेय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावे।

गैरसायल संख्या 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की विवादित भूमि रोही मौजा सोनडी की कुल 5.0580है० भूमि में से 215/843 हिस्सा भूमि गैरसायला न0 1 निराणी पत्नी अमीलाल की खूद की पैदा करदा भूमि थी जो गैरसायल संख्या 6 ने दिनांक 09.09.2020 को पूर्ण प्रतिफल दिया जाकर खरीद की थी जिसका कब्जा मौका पर प्राप्त कर लिया था वाद भूमि खरीद के समय से गैरसायल संख्या 6 के कब्जा काश्त में चली आ रही है बैयनामा दिनांक 09.09.2020 आदिनांक तक प्रभावी सायल वाद भूमि के सम्बध में किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है तथा बेयनामा के आधार पर गैरसायल संख्या 6 खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है केवल हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिले खारिज है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन /मनन किया गया प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070 [illegible] के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 252/257 की कुल 5.0580है० [illegible] 215/843 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 निराणी पत्नी अमीलाल के [illegible] काश्तकार दर्ज है तथा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 09.09.2020 के अनुसार गैरसायल [illegible] 1 निराणी ने अपने नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमि को गैरसायल संख्या 6 को बेचान किया गया है अर्थात वर्तमान में गैरसायल न0 1 के स्थान पर गैरसायल संख्या 6 उक्त विवादित 215/843 हिस्सा का बैयनामा के आधार

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर खातेदार काश्तकार है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल संख्या 6 के पक्ष में पाया जाता है।

प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया की गैरसायल संख्या 1 के द्वारा बैयानामा करवाने से एक दिवस पूर्व ही हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की गई जिसके कारण गैरसायल संख्या 6 के बेयनामा का नामान्तकरण दर्ज नही हो सका है बैयनामा अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में भूमि गैरसायल संख्या 6 के नाम दर्ज नही हुई थी अर्थात सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी गैरसायल संख्या 6 के पक्ष में पाया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 459 के अनुसार गैरसायल संख्या 1 के द्वारा भूमि खरीद की गई थी जिसके अनुसार उक्त नामान्तकरण संख्या 459 स्वीकृत होने पर गैरसायल संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हुई थी तथा गैरसायल संख्या 1 जो खरीददार खातेदार थी को अपने नाम दर्ज भूमि बेचान करने का पूर्ण अधिकारी था जिसका बेयनामा दिनांक 09.09.2020 को गैरसायल संख्या 6 के पक्ष में करवाने का भी पूर्ण अधिकार था गैरसायल न0 6 जो बेयनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु अस्थायी निषेधाज्ञा के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हो सका था अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी गैरसायल संख्या 6 के पक्ष में पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल की तुलना में गैरसायल के पक्ष में साबित होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाकर कार्यालय द्वारा दिनांक 08.09.2020 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त /अपास्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:55 IST
Reason: SelfAttested